

दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को होगा फायदा छोटे कारोबारियों को जीएसटी फॉर्म से छूट

राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है।

गौरतलब है कि जीएसटीआर-9 वह रिटर्न फॉर्म है, जो जीएसटी सिस्टम में पंजीकृत कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना पड़ता है। कारोबारी ने अपने साल भर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न (जीएसटीआर-1, 2, 3, 4 और 8) भरे होते हैं, उन सभी जानकारियों का इकट्ठा विवरण इसमें दर्ज करना होता है। कंपोजिशन स्कीम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है।

इस फॉर्म के प्रत्येक भाग में भरी गई जानकारियों को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापन कराना होता था

1.13

करोड़ संख्या हो गई
जीएसटी रिटर्न
दाखिल करने
वालों की अप्रैल
2023 तक



65% बढ़े जीएसटी दाखिल करने वाले

देश में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। वहीं, जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।

2017 में लागू हुआ था

एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया था। इस साल नवंबर में मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष में यह छठी बार है कि मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।

लेकिन बाद में सरकार ने कारोबारियों को ही खुद सत्यापन करने की छूट दी

थी। अब अब सरकार ने कारोबारियों को इस फॉर्म को भरने से राहत दे दी है।